न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

वाद पत्र संख्या : 80 सन् 2017

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद ताहिर (RAS)

1. इन्द्रा देवी पत्नी नरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी छपावदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

वादीनी

बनाम

1. बीना कुमारी पुत्री युधिष्ठर सिंह पत्नी श्री केशव चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम छपावदा तहसील तालेड़ा हाल निवासी आर.के.पुरम कोटा जिला कोटा राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं अधिकार घोषणा

वादीनी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री धनराज प्रजापत

प्रतिवादी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह गौड़

पैरोकार सरकार उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक :- 26-07-2019

1. वादीनी की ओर से यह वाद पत्र अधिकार घोषणा दिनांक 18–10–2017 को प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है :– कृषि भूमि खसरा संख्या 30 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 239 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 352 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 394 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी मे

क्रमश : 2

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

विस्थित है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड मे अंगूरी देवी पत्नी युधिष्ठर सिंह का नाम खातेदार के रूप मे दर्ज है। उक्त भूमि अंगूरी देवी की स्वअर्जित भूमि थी। अंगूरी देवी के द्वारा दिनांक 07—03—2014 को वादीनी के पक्ष मे उपरोक्त भूमि का वसीयत नामा निष्पादित किया था। इस प्रकार वसीयत नामा के आधार पर उक्त भूमि पर वादीनी का ही हक व अधिकार है। अंगूरी देवी का देहान्त हो चुका है। अंगूरी देवी की पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 के मन मे बदनियती आ गई है। वह उक्त भूमि को हड़प करने के उद्देश्य से राजस्व रिकॉर्ड मे अपना दर्ज करवाकर वादीनी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जिसे दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

3. वादीनी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने ईकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा भी जवाब पेश किया गया।

4. वाद पत्र एंव जवाब वाद पत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई :—

(1) आया कि अंगूरी देवी के द्वारा अपने खाते व कब्जे की वाद वर्णित कृषि भूमि की वसियत दिनांक 07—03—2014 वादीनी के पक्ष मे निष्पादित की थी।

वादीनी

(2) आया वादीनी वसीयत नामा दिनांक 07—03—2014 के आधार पर खातेदार वाद वर्णित कृषि भूमि पर दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादीनी

(3) अनुतोष :—

5. वादीनी की ओर से साक्ष्य मे स्वयं के शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य मे वसीयत नामा प्रदर्श 1, राजस्व अपील अधिकारी कोटा का निर्णय प्रदर्श 3, वर्तमान जमाबन्दी की नकल प्रदर्श 3, अंगूरी देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी पेश की।

6. हमने उभय पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। वाद

क्रमश : 3

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

पत्र का निर्णय नियत विवाधकों के विवेचन एंव विश्लेषण अनुसार किया जा रहा है।

1. **आया कि अंगूरी देवी के द्वारा अपने खाते व कब्जे की वाद वर्णित कृषि भूमि की वसियत दिनांक 07—03—2014 वादीनी के पक्ष मे निष्पादित की थी।** उक्त विवाधक को साबित करने का भार वादीनी पर था। इस सम्बन्ध मे वादीनी वसीयत नामा दिनांक 07—03—2014 पेश कर प्रदर्श 1 के रूप मे प्रदर्शित करवाया। जवाब वाद पत्र मे प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त वसियतनामा को छल कपट पूर्वक निष्पादित होना तथा संदिग्ध होना जाहिर नही किया है। वसीयतनामा पर ए से बी स्थान पर अंगूरी देवी के हस्ताक्षर नोटेरी से प्रमाणित है। ऐसी स्थित मे वादीनी के पक्ष मे दिनांक 07—03—2014 को वसियत नामा निष्पादित किया गया था वादीनी के द्वारा न्यायालय के समक्ष बखूबी प्रमाणित किया गया है इसलिए यह विवाधक वादीनी के पक्ष मे तय किया जाता है।

2 **आया वादीनी वसियत नामा दिनांक 07—03—2014 के आधार पर खातेदार वाद वर्णित कृषि भूमि पर दर्ज करवाने के अधिकारी है।** उक्त विवाधक को साबित करने का भार वादीनी पर था। वादीनी ने उक्त विवाधक को खारिज किये जाने के क्रम मे साक्ष्य मे प्रस्तुत शपथ पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं के नाम वाद वर्णित भूमि का नामांतकरण खुलवाना चाहती है जबकि उक्त भूमि का वसियत नामा वादीनी के पक्ष मे खातेदार अंगूरी देवी के द्वारा निष्पादित किया गया है। उपरोक्त वसियतनामा असंदिग्ध नही होना विवाधक संख्या 1 के विवेचन एंव विश्लेषण के वक्त तय हो चुका है प्रदर्श 2, न्यायालय निर्णय दिनांक 05—06—2008 से प्रमाणित है कि उपरोक्त भूमि वसियत कर्ता अंगूरी देवी की स्वअर्जित सम्पत्ति है जो उसने दिनांक 23—06—1967 को खरीद किया था। दिनांक 01—10—2017 को अंगूरी देवी की मृत्यु हो चुकी है साथ ही मे प्रतिवादी संख्या 1 का ईकबालिया

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

क्रमश : 4

जवाब भी पेश हुआ है ऐसी स्थिति मे वादीनी वसीयतनामा के आधार पर वाद वर्णित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारीणी है। साथ ही मे खातेदारी अधिकार अन्तरण सम्बन्धी विधि का अवलोकन करें तो राजस्थान काश्तकारी अधिकनियम की धारा 41 मे खातेदारी अधिकार के अन्तरण सम्बन्धि उल्लेख इस प्रकार है कि खातेदारी अधिकार (1) विक्रय पत्र के आधार पर, (2) दान पत्र के आधार पर, (3) वसीयत के आधार पर अन्तरित किये जा सकते है। वादीनी के पक्ष मे वाद वर्णित भूमि का वसीयत नामा निष्पादित किया गया है इस प्रकार उक्त वसीयतनामा के आधार पर वादीनी काश्तकारी अधिनियम की धारा 41 के तहत वाद वर्णित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है। उक्त विवाधक भी वादीनी के पक्ष मे तय किया जाता है।

3. अनुतोष :— उपरोक्त दोनों विवाधक वादीनी के पक्ष मे तय किये गये है इसलिए वादीनी वाद वर्णित अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

—: निर्णय :—

परिणामस्वरूप वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 30 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 239 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 352 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 394 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी मे विस्थित है पर वादीनी का नाम खातेदार के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें।

उक्त निर्णय दिनांक 26/07/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

26/07/19

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत — इजलास – मोहम्मद ताहिर

उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेड़ा — आर.ए.एस.

इन्द्रा देवी V/S बीना कुमारी वगै0

वाद– स्थाई निषेधाज्ञा, अधिकार घोषणा

मुकदमा नम्बर :: 80/दावा/2017

वादीनी की ओर से श्री धनराज प्रजापत, अधिवक्ता की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 26.07.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

" वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 30 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 239 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 352 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 394 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है, पर वादीनी का नाम खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।"

नीज .....ग..... मुबलिक .....ग..... बाबत .....ग..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .....ग..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ..... ग..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 26.07.2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

26/7/19

(मोहम्मद ताहिर)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज0)